न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 29/2017 तारीख रजू 26.06.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।
..........आवेदक

बनाम

1. आशीष शर्मा पुत्र श्री सुरेश चंद्र शर्मा, वेण्डर (विक्रेता) मैसर्स सच्चलमल एंड संस रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं. 02/03, प.म.रे, स्टेशन बिल्डिंग, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान
2. रमेश चंद्र पुत्र श्री सच्चलमल, (लाइसेंसी एवं अधिकृत व्यक्ति) मैसर्स सच्चलमल एंड संस रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल, रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं. 02/03, प.म.रे, स्टेशन बिल्डिंग, सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 09/07/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार दुबे (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 09.02.2015 को समय लगभग शाम 04.00 बजे रेल्वे स्टेशन सवाई माधोपुर के प्लेटफार्म नं. 02/03 पर रिफ्रेशमेन्ट टी स्टॉल मैसर्स सच्चमल एण्ड सन्स का निरीक्षण किया जहां पर श्री आशीष शर्मा पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा वेन्डर (विक्रेता) को खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय करते हुए पाया। आवेदक ने वेन्डर को अपना परिचय दिया एवं निरीक्षण का उददेश्य बताया। वेन्डर ने टी स्टाल के अधिकृत व्यक्ति एवं लायसेंसी का नाम रमेश चंद, मैसर्स सच्चमल एण्ड संस बताया (बतौर साक्ष्य विक्रेता ने अपनी आईडी, चिकित्सा प्रमाण–पत्र, टी स्टाल का लायसेन्स तथा अधिकृत व्यक्ति की आईडी पेश की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म नं. 2/3 का निरीक्षण वेन्डर आशीष शर्मा, सवाई माधोपुर, गवाह देवेन्द्र कुमार एवं कन्छेदी लाल की उपस्थिति में करने पर पाया कि रिफ्रेशमेन्ट टी स्टाल पर ,रखे 30–40 पैकेट पार्ले जी गोल्ड बिस्किट्स का विक्रय वेन्डर द्वारा किया जा रहा है, आवेदक को पार्ले जी बिस्किट्स अवमानक स्तर के होने की शंका होने पर आवेदक ने फार्म नं0 5क पर पार्ले जी गोल्ड बिस्किट्स के नमूने FSSA के अन्तर्गत जांच हेतु लेने के आशय की सूचना फार्म नं0 5क की प्रतियां तैयार की विक्रेता एवं गवाहों को पढकर, समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता आशीष शर्मा एवं गवाहों ने पढकर, समझकर एवं सही मानकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। यह कि फार्म नं0 5क की प्रति विक्रेता को उस समय मौके पर दी एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

इसकी पावती प्राप्त की। यह कि टी स्टाल पर विक्रय किये जा रहे पार्लेजी गोल्ड बिस्किट्स के 8 पैक्ड पैकेट्स (प्रत्येक पैकेट वजन 112.5 ग्राम) बैच नं. K9 0358 B एवं पैकिंग तिथि 03/01/15 MFA Unit Kushal Food Pvt. Ltd. 848, Kalpi Road, Rania Kanpur- Dehat UP, MFG By – Parle Biscuits Pvt. Ltd. North Level Crossing Vila Parle East Mumbai, M.H. प्रति पैकेट 10/– की दर से वेन्डर आशीष शर्मा को 80 रूपये नगद भुगतान कर खरीदा एवं इसकी रसीद प्राप्त की। यह कि खरीदे हुए पार्ले जी गोल्ड बिस्किट्स को चार भागों में अलग–अलग (प्रत्येक भाग में 2 पैकेड पैकेट्स रखकर) मोटे खाकी रेपर–पेपर में लपेट कर सावधानी पूर्वक बन्द किया एवं प्रत्येक पर निर्धारित लेबल चिपकाये, प्रत्येक भाग को चपड़ा लगाकर सील मोहर बंद किया नमूने के चारो भागों को अलग–अलग मोटे रेपर पेपर में लपेट कर पेपर के किनारो को मोडकर गोंद से चिपकाकर पूर्णतः बंद किया, चारो भाग पर अभिहित अधिकारी जबलपुर द्वारा प्रदत्त पेपर स्लिप कोड नं. WCR/915 – स्लिप नंबर 55/2015 ऊपर से नीचे तक नमूने को ढंकते हुये चिपकायी चारो भाग नमूनों पर वेन्डर आशीष शर्मा के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये के कुछ भाग पेपर स्लिप पर एवं बाकी रेपर पेपर पर आवें। नमूने के चारो भाग पर आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर किये। नमूने के चारो भागों को ऊपर से नीचे तक दांये से बांये तक मोटे मजबूत धागे से बांधकर ऊपर, नीचे, दांये–बांये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सील से चपड़ा लगाकर बंद किया। यह कि आवेदक द्वारा मौके पर ही पूरी कार्यवाही का पंचनामा बनाकर विक्रेता एवं गवाहों को पढकर सुनाकर, समझाया, विक्रेता एवं गवाहों ने पढकर समझकर एवं सही मानकर पंचनामा पर हस्ताक्षर किये एवं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार कर और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया एवं एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा (राज.) को जमा करवाकर पावती प्राप्त की। नमूने के शेष तीन भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी जबलपुर, प.म.रे. को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के माध्यम से मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा (राज.) से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या FSSL/KOTA/2015–259 दिनांक 20.02.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पार्लेजी गोल्ड बिस्किट्स Misbrand पाया गया।

यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Misbrand खाद्य पदार्थ पार्लेजी गोल्ड बिस्किट्स का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। बहस से पूर्व अभियुक्त संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त संख्या 2 की मृत्यु की सूचना देने पर अभियुक्त संख्या 2 नाम प्रकरण से हज़फ किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा Misbrand खाद्य पदार्थ पार्लेजी गोल्ड बिस्किट्स का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा द्वारा अभियुक्त से **खाद्य पदार्थ " पार्लेजी गोल्ड बिस्किट्स "** का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति का माना गया है। अभियुक्त द्वारा विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ पार्लेजी गोल्ड बिस्किट्स की लेब रिपोर्ट में खाने योग्य पाया गया है केवल जानकारी के अभाव में मिसब्राण्ड आया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या FSSL/KOTA/2015–259 दिनांक 20.02.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ " पार्लेजी गोल्ड बिस्किट्स "** मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस प्रकरण में जुर्म स्वीकार किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ " पार्लेजी गोल्ड बिस्किट्स "** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **09.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर